प्रेस नोट-दिनांक:06.03.2025

थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

◆थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा 02 बैग में भरकर ले जा रहे कुल 15.300 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विनय कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा सुभाष नगर पार्क के सामने पुरानी जीटी रोड के पास चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति दाहिने हाथ में काला चैनसुदा बैग व बांए हाथ में बैगनी रंग का झोला लिए हुए आ रहा था उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजू कुमार पुत्र शिव चौधरी निवासी गोविंदपुर फतवाँ थाना फतवाँ जिला पटना बिहार उम्र 22 वर्ष बताया, जिसके दाहिने हाथ में लिए काले रंग के कपड़े के बैग को चेक किया गया तो 12 पीस 750 ml Royal STAG अवैध अंग्रेजी शराब व बाएं हाथ के झोले में 35 पीस अफसर चाइस 180 ml फ्रूटी (पाउच) बरामद हुई (कुल 15.300 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामदग व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-134/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1.राजू कुमार पुत्र शिव चौधरी निवासी गोविंदपुर फतवाँ थाना फतवाँ जिला पटना बिहार बताया उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 134/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी:-

1.15.300 लीटर नाजायज अंग्रेजी शराब

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विजय बहादर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 दीनानाथ सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

3.का0 श्रवण कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

थाना चकिया जनपद चंदौली

◆थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजा तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

◆11.810 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद (तीन लाख अनुमानित कीमत)

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा दिये गये मादक पदार्थ की तस्करी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चकिया पुलिस द्वारा 11 किलो 810 ग्राम अवैध गांजा के साथ 02 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 036/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 05.03.2025 को उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता मय हमराह देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्तियो की चेंकिग व वांछित अभियुक्तो की तलाश व जुर्म जरायम की रोकथाम हेतु पथरहवा माइनर के वहद ग्राम पुरूषोत्तमपुर रघुनाथपुर के पास संदिग्ध वाहनो की चेकिंग के दौरान एक टीवीएस अपाची मोटर साइकिल सं० BR45M3435 मुसाहिबपुर गाँव की तरफ से तेज गति से आकर कुछ दूर पहले रुक गयी, जिस पर दो ब्यक्ति बैठे है तथा बीच मे कुछ सामान लिये थे। पुलिस चेकिंग देखकर पीछे मुड़ने लगे कि शक होने पर मौके पर मौजूद पुलिस टीम द्वारा घेरकर अपाची मोटर साइकिल पर सवार दोनो ब्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्तों की पहचान 1.शान्ता पुत्र सामा निवासी पीतपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली 2.राजनाथ पुत्र रामधार निवासी पीतपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली के रुप में हुई। दोनों के बीच रखे बोरी को चेक किया गया तो 11 बण्डल अवैध गांजा (कुल 11 किलो 810 ग्राम) बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चकिया पर मु0अ0सं0-036/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। .

पूछताछ विवरण-पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग बराबर-बराबर पैसा लगाकर भालू बूढ़न बिहार से एक व्यक्ति जो अपना चेहरा ढक कर भालू बूढ़न के निर्जन स्थान पर गाँजा लाकर हम लोगो को देता है उससे हम लोग गांजा खरीदकर मूसाखाड़ होते हुए शिकारगंज के रास्ते मिर्जापुर बस स्टैन्ड पर ले जाकर 01 व्यक्ति को ऊंचे दामो पर बेच देते है और जो फायदा होता है उसको हम लोग आपस मे बराबर बराबर बांट लेते है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1.शान्ता पुत्र सामा निवासी पीतपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र लगभग 50 वर्ष

2.राजनाथ पुत्र रामधार निवासी पीतपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र लगभग 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 036/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1.11.810 कि0 ग्र0 अवैध गांजा

2.01 एण्ड्रायड मोबाइल- रीयलमी कम्पनी

गिरफ्तारी टीम का विवरणः-

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 अभिनव गुप्ता थाना चकिया जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 गंगाधर मौर्य थाना चकिया जनपद चन्दौली।

4.उ0नि0 दयाशंकर सिंह पटेल थाना चकिया जनपद चन्दौली।

5.हे0का0 जलभरत यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।

6.हे0का0 दीपचन्द्र गिरी थाना चकिया जनपद चन्दौली।

7.का0 अनिल सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।